राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/85

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128	23/2024	15/2/2024	29/1/24 [illegible]	18/3/2024

अनवान

श्री मोहन S/O डूंगा धाकड़

निवासी सदारामजी का खेड़ा तह. बिजौलियां

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

श्री रमेश S/O हीरालाल धाकड़

निवासी सदारामजी का खेड़ा तह. बिजौलियां वगैरे (3)

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार

श्री रामफूल धाकड़

मदयून

श्री ....

FORM NO. III
फर्द अहकम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

मोहन बनाम गोरा

किस्म मुकदमा – 111–128 नम्बर 23/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/2/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 18/3/2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
18/3/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 23/4/24 को वास्ते 3 रिट आदेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
23/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण बाद पुकार अनुपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। पत्रावली आगामी दिनांक 29/4/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
29/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में आदेश/निर्णय पारित किया गया व तहसीलदार बिजौलिया को पालना के लिए लिखा गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 23/2024 तारीख 15/2/24

मोहन पुत्र डुंगा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............प्रार्थी

बनाम

01. रमेश पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. जगदीश पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांक: 29/4/24

प्रार्थना पत्र **मोहन पुत्र डुंगा जाति धाकड़ निवासी** सदारामजी **का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते **ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 16 पर अंकित आराजी संख्या 118 रकबा 0.1781 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 119 रकबा 0.2428 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 120 रकबा 0.1781 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा 0.5990 हैक्टैयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **उमा जी का खेडा** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील** बिजौलियाँ **की सरहद में स्थित खाता संख्या 16 पर अंकित आराजी संख्या 118 रकबा 0.1781 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 119 रकबा 0.2428 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 120 रकबा 0.1781 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा 0.5990 हैक्टैयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 23/24 तारीख 22/4/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....23........../ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

मोहन पुत्र डुंगा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............प्रार्थी

बनाम

01. रमेश पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. जगदीश पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील** बिजौलियाँ **की सरहद में स्थित खाता संख्या 16 पर अंकित आराजी संख्या 118 रकबा 0.1781 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 119 रकबा 0.2428 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 120 रकबा 0.1781 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा 0.5990 हैक्टैयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **उमा जी का खेडा** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा